राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 338/2013/आबकारी/उदयपुर.

फील्ड क्लब फतहपुरा, उदयपुर
जरिये सचिव सतेन्द्रपाल छाबड़ा पुत्र श्री स्वरूपेन्द्र सिंह छाबड़ा निवासी डी–2–3, शिव पार्क कॉलोनी, दुर्गा नर्सरी रोड़, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव एवं श्री सुमित जैन,
अभिभाषकगण .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/10/2014

निर्णय

1. अपीलार्थी फील्ड क्लब उदयपुर जरिये सचिव सतेन्द्रपाल छाबड़ा पुत्र श्री स्वरूपेन्द्र सिंह छाबड़ा निवासी शिव पार्क कॉलोनी, उदयपुर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ए)(1)(बी) के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश दिनांक 14.2.2013, जो कि न्यायालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक प.29/बी/अभि./9/आब/12 दिनांक 14.2.2013 को पारित किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फील्ड क्लब उदयपुर, आबकारी विभाग, उदयपुर द्वारा जारी लाईसेंस का धारक है। वर्ष 2012–13 के लिये लाईसेंस नम्बर UDR/2012-13/ RON/34260202001 दिनांक 1.4.2012 को रिन्यू किया गया। दिनांक 5.10.2012 को आबकारी निरीक्षक वृत उदयपुर पश्चिम द्वारा अपीलार्थी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्वीकृत स्थल के अलावा अन्य तीन अलग–अलग स्थानों पर बार संचालित किये जाने तथा शराब परोसना पाया गया, स्वीकृतशुदा बार रूम बंद पाया गया, बहुत सा निर्माण किया हुआ पाया गया, संचालित क्लब बार के स्टॉफ का कोई नौकरनामा स्वीकृत नहीं था, स्टॉक रजिस्टर नहीं पाये जाने के कारण अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन होने से अपीलार्थी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की

लगातार.....2

धारा 58(सी) के तहत अभियोग संख्या 32 दिनांक 5.10.2012 को दर्ज किया गया। उक्त अभियोग को संयोज्य करवाने हेतु संयोज्य प्रार्थना—पत्र सचिव, फील्ड क्लब द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने संयोज्य करने के आदेश दिनांक 14.2.2013 को पारित कर रूपये 5,00,000/— जमा कराने के आदेश दिये।

3. अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव ने बहस में कथन किया कि विवादित आदेश Non-speaking एवं Non-reasoned आदेश है। अपीलान्ट क्लब 32 बीघा भूमि पर निर्मित है, जिसमें क्लब में आने वाले सदस्यों को उचित सुविधा प्रदान करने हेतु ही सर्विस काउन्टर बनाये गये हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने क्लब में अलग—अलग काउंटर मानते हुए आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को नजरअंदाज किया है कि आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलान्ट क्लब के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत अभियोग दर्ज किया गया, जिसमें रूपये 500/— जुर्माना निर्धारित है। लाईसेंसी क्लब नियमित रूप से आबकारी विभाग के निर्देशित नियमों का पालन करता रहा है।

4. अपीलार्थी को एक सामाजिक क्लब, जो 1991 से रजिस्टर्ड है, होना बताया, जिसके उद्देश्य are to provide recreation, opportunity for social and Cultural intercourse and physical and literary benefits to the community. अपीलार्थी क्लब का उद्देश्य धन कमाना नहीं है।

5. मौखिक रूप से आगे कथन किया कि निरीक्षण में आक्षेपित शराब को जब्त नहीं किया गया, निर्माण कार्य कराने की विधिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आबकारी नीति 2012—13 का संदर्भ देते हुए उसमें लग्जरी ट्रेन की फीस व उसमें उपलब्ध कराये जाने वाले काउन्टर का उल्लेख किया।

6. बहस में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **(1997) 106 एस.टी.सी. 604** का दृष्टान्त दिया, जिसमें प्रवेश कर की शास्ति आरोपण में शास्ति राशि के सम्बन्ध में तर्कसंगति पर विचार किया जाना चाहिये।

7. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि यह प्रकरण शास्ति आरोपण का नहीं होकर आबकारी अधिनियम की धारा 70 में अपराध के संयोजन (Composition) आदेश के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अधिनियम के अधीन अपराध की स्वीकारोक्ति करते हुए आबकारी अधिकारी को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया। संयोजन आदेश की पालना में राशि जमा करवाई गई है।

लगातार.....3

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. प्रकरण में दिनांक 05.10.2012 को अपीलार्थी क्लब का निरीक्षण समय 8:30 PM पर किया गया। निरीक्षण में स्वीकृत नक्शे के अनुसार एक बार, जिसमें "बार बी" अंकित किया हुआ पाया गया, जो कि बन्द था। बार का बारमैन गोपाल के छुट्टी पर होने का कथन किया गया। स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त तीन अलग–अलग स्थानों (a) रेस्टोरेंट के सामने गार्डन में, महारानी बार, जिसे बार 'डी' अंकित किया गया है, (b) कार्ड रूम में बार जिसे बार 'सी' अंकित किया गया है, (c) रेस्टोरेंट के ऊपरी मंजिल पर बार, जिसे बार 'ए' अंकित किया गया है, संचालित होते हुए पाये गये। इन गैर स्वीकृत स्थानों पर क्लब सदस्यों को वक्त निरीक्षण शराब परोसी जा रही थी।

10. उक्त तीनों गैर स्वीकृत स्थानों A, C, D पर क्रमशः बारमैन श्री नरेन्द्र सिंह, श्री रमेश चौधरी व श्री भंवर सिंह उपलब्ध पाये गये थे। इन गैर स्वीकृत स्थानों के बारमैन ने बार के नक्शे, नौकरनामा तथा स्टॉक पंजिका उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाने पर प्रस्तुत करने में असफल रहे। वांछित नक्शे, स्टॉक पंजिका व नौकरनामे को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। वक्त निरीक्षण मौके पर बहुत सा नवीन निर्माण किया जाना पाया गया, जिसकी कोई सूचना विभाग को नहीं देना आक्षेपित किया गया। अतः अनुज्ञा शर्तों का उल्लंघन होना पाया गया।

11. यह निर्विवादित तथ्य है कि आबकारी निरीक्षक वृत उदयपुर (पश्चिम) ने सहायक आबकारी अधिनियम उदयपुर के साथ दिनांक 05.10.2012 को 8.30PM पर 'क्लब बार' फील्ड क्लब फतहपुरा उदयपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण किया जाकर अभियोग संख्या 32/2012–13 पंजीकृत दिनांक 5.10.2012 सरकार बनाम श्री सचिव फील्ड क्लब फतहपुरा उदयपुर अधीन धारा 58(सी) दर्ज किया गया। अपीलार्थी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर को संबोधित संयोज्य प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.01.2013 को प्रस्तुत करते हुए निम्नानुसार कथन किया गया है :–

> "निवेदन है कि दिनांक 5.10.12 को समय 8.30 PM बजे स्थान फील्ड क्लब बार, फतहपुरा उदयपुर पर मुझे आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58(सी)/19/54 के अन्तर्गत नीचे लिखी अनियमितता के कारण पकड़ा गया एवं अभियोग संख्या 32/2012–13 दिनांक 5.10.12 पंजीकृत किया गया है। (अनियमितता का संक्षिप्त विवरण) :–

लगातार.....4

क्लब बार का लाइसेंस होने पर भी तीन अलग–अलग अस्वीकृत स्थानों पर बार संचालित करने, कार्यरत स्टॉफ के नौकरनामे नहीं पाया जाना, स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया जाना।

मैं इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से उदार दृष्टिकोण की अपेक्षा रखते हुए उक्त पंजीकृत अभियोग को विभागीय स्तर पर निस्तारण करना चाहता हूं। श्रीमान द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा तथा संयोज्य राशि निर्धारित की जाएगी वह बाध्यकारी होकर आदेश की राशि बिना आपत्ति प्रकट किये राजकोष में जमा कराने के लिये तत्पर रहूंगा।

यह संयोज्य प्रार्थना पत्र मैंने बिना नशे के पूर्ण होश हवास सहित बिना किसी दबाव के स्वैच्छा से आबकारी निरीक्षण वृत उदयपुर पश्चिम के समक्ष प्रस्तुत किया है जो सही सनद रहे।"

12. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा विवादित आदेश को Non-Speaking Non-reasoned आदेश का कथन किया, परन्तु उन्होंने इसे संयोजन आदेश होने का उल्लेख नहीं किया। यह तथ्य निर्विवादित है कि वक्त जांच मौके पर अनियमिततायें पायी गयी, जिनसे आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होना प्रमाणित है। इस सम्बन्ध में आबकारी अधिनियम की धारा 58 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

58. Penalty for certain acts by Licensee or his servants.- Whoever being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act or being in the employ of such holder and acting on his behalf -

(a) fails to produce such licence, permit or pass on the demand of any Excise Officer or of any other officer duly empowered to make such demand: or

(b) in any case not provided for in Section 54 willfully contravenes any rule made under Section 41 or Section 42; or

(c) willfully does or omits to do anything in breach of any of the conditions of the licence, permit or pass not otherwise provided for in this Act :

shall be punished for each such offence with fine which may extend to five hundred rupees.

13. अपीलार्थी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रकरण को संयोज्य करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। आबकारी अधिनियम की धारा 70 के प्रावधान के अनुसार आबकारी अपराधों के संयोजन (Composition) के लिये आबकारी आयुक्त अधिकृत हैं। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 70 निम्न प्रकार है :–

लगातार.....5

70. Power of Excise Officers to compound offences.-

(1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the **Excise Commissioner** or any other Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf **may accept from any person whose licence, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under this Act,** or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act, **a sum of money not less than Rs. 5,000/- but not exceeding 10 times of the annual Licence fee** in respect of manufacturing units / bonds and wholesale vends **etc.** and not more than two times of exclusive privilege amount in case of liquor and beer shops alongwith other levies applicable from time to time in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for such offence which may have been committed, as the case may be, and in all cases whatsoever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act may release all such property except an excisable article on payment of the value thereof as estimated by such officer and may confiscate the excisable article:

Provided that no such composition shall be accepted from any officer or servant of the Excise Department for any offence under this Act committed by such officer or servant.

Provided further that no offence of manufacture or possession for sale of an excisable article punishable under Section 54 shall be compounded.

(2) On the payment of such sums of money to such officer, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released and no further proceedings shall be taken against such person or property in respect of such offence.

14. माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **(1999) 114 एस. टी.सी. 9 (कर्नाटक)** में अपराधों के संयोजन के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"The process of compounding an offence is in substitution of a trial by the competent court, the only difference between the two being that in the case of composition of offences, the issue gets resolved on the basis of an agreement between the parties whereas in the case of a trial, it is the judgment of the court on contest that sets the matter at rest. **Once, therefore, the party accused of the violations under the Act, comes forward to make an offer for composition, all that the authority competent to compound the same is required to examine is whether the offer should be accepted keeping in view the nature of the offences alleged and if so, the terms, as regards the composition fee at which such an offer should be accepted.**

लगातार.....6

The offer to compound implied an unequivocal admission of the findings recorded on the basis of the verification. It was not therefore permissible for the petitioner to question the correctness of the said findings in the extraordinary writ jurisdiction of the court :

15. राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंस) रूल्स, 1973 के नियम 3 के तहत जारी लाईसेंस फीस की सूची के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सिविल क्लब बार के लिये निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं :–

S. No.	Category	Initial fee for year or part thereof (Rs. in lac)		
		Basic Licence Fees	Minimum special Vend fees	Total of (Col. No. 3 + 4)
4.	Civil Club Bar: (i) In Jaipur/Jodhpur (ii) In Other places	 2.00 1.50	 0.25 0.25	 2.25 1.75

16. जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर द्वारा फील्ड क्लब फतेहपुरा उदयपुर को सिविलियन क्लब की श्रेणी में दिनांक 01.04.2012 को लाईसेंस संख्या UDR/2012-2013/RON/34260202001 जिसकी Basic Licence Fee रूपये 1,50,000/– तथा न्यूनतम SUF रूपये 25,000/– की राशि के साथ दिनांक 31.3.2013 तक की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया।

17. प्रकरण के समग्र तथ्यों, परिस्थितियों व विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्षित किया जाता है कि धारा 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश अपीलार्थी के संयोज्य प्रार्थना–पत्र के आधार पर पारित किया गया है। अपीलार्थी के रिटेल ओन बार लाईसेंस में अंकित वार्षिक लाईसेंस फीस रूपये 1.50 लाख है, न्यूनतम SVF रूपये 0.25 लाख है, कुल रूपये 1.75 लाख है, जिसकी 10 गुना तक संयोज्य राशि स्वीकार किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी पर पाई गई अनियमितताएं अपराध होकर लाईसेंस निरस्तीकरण के लिये दायी था। संयोजन प्रार्थना–पत्र के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अभियोग को संयोजित किया गया। संयोजन राशि जमा कराने पर लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही से छूट प्राप्त की जा सकने का प्रावधान है। राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 70 के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

18. परिणामतः आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण इसकी पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया ।

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष